

22.3.18

वकील वादी कृष्ण

वकील वादी द्वारा कबरे-
कार निर्देश दिये जाने के
कारण प्रतिवादी संख्या 2,
4 (क) एवं 5, 6 की तलकी के
लिए P/F एवं सम्मन पेश
नहीं किये गये हैं। अतः कि
वादी के वकील एवं वादी
प्रतिवादीगण को तलकी के
लिए P/F एवं सम्मन प्रस्तुत
करने में असफल रहे हैं।

अतः कोर्ट-9 नियम (2)
C.P.C. के तहत वादी की
वाद खत्म कागो चलाना
अप्रामाणिक नहीं है।

अतः वाद वादी
स्वादिन किया जाता है।
पञ्जावली फ़ैसल नुमार दोकर
संख्या से खत्म हो।